भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1643

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार करने में सुगमता

1643. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक व्यापार करने में सुगमता बेंचमार्क अथवा तुलनीय निवेश वातावरण संबंधी सूचकांकों में भारत के नवीनतम निष्पादन का ब्यौरा क्या है और बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) सूचकांक के अन्तर्गत इसके प्रारंभ से लेकर अब तक इसकी रैंकिंग और कार्य-निष्पादन की प्रवृत्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान व्यापार करने में सुगमता पहल के अंतर्गत कम किए गए या समाप्त किए गए अनुपालन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा छोटे व्यावसायिक अपराधों के गैर-अपराधीकरण को बढ़ावा देने, विनियामक ओवरलैप को कम करने और अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने और राज्यस्तरीय व्यावसायिक सुधारों का समर्थन करने के लिए बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार निवेशकों की शिकायत निवारण और वास्तविक समय पर अनुमोदन ट्रैकिंग को एकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) डैशबोर्ड शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): विगत 5 वर्षों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) रैंकिंग, जिस विश्व बैंक समूह द्वारा "डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट" के रूप में प्रकाशित किया जाता था, के अनुसार भारत

ने 79 रैंक का सुधार किया है। वर्ष 2019 में प्रकाशित नवीनतम डीबीआर रैंकिंग के अनुसार भारत 63वें स्थान पर था।

वर्ष 2020 में डीबीआर रिपोर्ट के बंद हो जाने के बाद, विश्व बैंक ने तीन वर्षों में 180+ देशों में पूरे व्यवसाय जीवनचक्र में बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन जैसे 10 विषयों का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2024 में बी-रेडी आकलन शुरु किया। भारत तीसरी बी-रेडी रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाला है, जो 2026 में जारी होगी।

भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग और संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समग्र पहल के तहत व्यसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) सहित कई पहलें शुरू की हैं।

बीआरएपी पहल, वर्ष 2014 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा शुरू की गई थी। यह भारत में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए नियमों को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन बोझ को कम करने और डिजिटल समाधानों को लागू करने पर फोकस करती है। प्रमुख सुधारों में सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित करना, निर्माण संबंधी अनुमतियों को सरल बनाना, निरीक्षण प्रक्रियाओं को बढ़ाना और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य घरेलू और विदेशी निवेश दोनों के लिए भारत को अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है।

अब तक, बीआरएपी के सात संस्करण (2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020, 2022 और 2024) पूरे हो चुके हैं, जिसमें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का आकलन किया गया है। वर्तमान में सातवां संस्करण, बीआरएपी 2024 चल रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 9,700 से अधिक सुधार किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की अब तक की रैंकिंग **संलग्न** है।

(ख): भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई, विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने व्यवसायों और नागरिकों के लिए बोझिल अनुपालनों को कम करने के लिए एक स्व-पहचान प्रक्रिया शुरू की। इसके परिणामस्वरूप, विगत पांच वर्षों के दौरान 47,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं।

कम किए गए कुल अनुपालनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 16,109 अनुपालनों को सरल बनाया गया,

- 22,287 अनुपालनों को डिजिटाइज किया गया,
- 4,623 अनुपालनों का गैर-अपराधीकरण किया गया, और
- अनावश्यक और दोहराव वाली आवश्यकताओं को हटाकर 4,270 अनुपालनों को समाप्त कर दिया गया।

इसके अलावा, आरसीबी+ पहल के तहत, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामान्यत: लागू किए जाने वाले 23 अधिनियमों में चिन्हित 6,262 अनुपालनों में से 4,846 अनुपालनों को कम कर दिया गया है।

(ग): जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा में 27 जुलाई, 2023 को, राज्यसभा में 02 अगस्त, 2023 को) में पारित किया गया और 11 अगस्त, 2023 को इस राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। यह अधिनियम 19 मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के तहत 183 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करता है।

इस अधिनियम में गैर-अपराधीकरण हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों को हटाना, कारावास और / या जुर्माने को शास्ति में परिवर्तित करना और कुछ मामलों में अपराधों के शमन की शुरुआत शामिल है। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर डीपीआईआईटी ने एक और संयुक्त संशोधन विधेयक के लिए संकलित किए जाने वाले गौण आपराधिक प्रावधानों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को 12.08.2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और बाद में 18 अगस्त 2025 को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद इस विधेयक को श्री तेजस्वी सूर्या की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को भेजा गया। वर्तमान में यह विधेयक उक्त समिति में विचाराधीन है।

यह कार्य जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 की सफलता पर आधारित है और इसके अंतर्गत 10 मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रशासित 16 केंद्रीय अधिनियमों को कवर करते हुए सुधार एजेंडा का विस्तार किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुल 355 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, 288 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया गया है और ईज ऑफ लिविंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

विनियामक ओवरलैपिंग को व्यवस्थित रूप से कम करने और अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने के लिए सरकार ने आरसीबी पहल के तहत बहु-स्तरीय संस्थागत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दिशा में किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

- केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्व-पहचान प्रक्रिया चलाना करना, जिससे ओवरलैपिंग, अनावश्यक और दोहराव वाले अनुपालनों की पहचान की जा सके। इससे 47,000 से अधिक अनुपालनों की समीक्षा के लिए पहचान की गई।

- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में सामान्य नियामक प्रावधानों और ओवरलैपिंग वाली अनुपालन आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 670 से अधिक विशिष्ट अधिनियमों के 42,000 से अधिक कम किए गए अनुपालनों की डीपीआईआईटी द्वारा विश्लेषणात्मक मैपिंग।

- 23 अधिनियमों की पहचान करना, जिनके तहत 10 से अधिक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुपालनों में कमी की थी, और इन अधिनियमों को आरसीबी + पहल के तहत शामिल करना ताकि उन पर फोकस किया जा सके और उन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सके।

- इन अधिनियमों के तहत 6,262 अनुपालनों की समीक्षा के परिणामस्वरूप 4,846 अनुपालन कम हुए, जिससे अंतर-राज्यीय और अंतर-नियामक दोहराव की समस्या का समाधान किया गया।

इन उपायों ने अनावश्यक अनुपालन को खत्म करने, नियामक ओवरलैपिंग को कम करने और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में विनियामक फ्रेमवर्क के सामंजस्य को सक्षम किया है।

(घ): भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के तहत कई व्यापक सुधार किए हैं, जो श्रम, पर्यावरण, भूमि प्रशासन और कराधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हुए हैं। इन उपायों ने देश में व्यवसायों की स्थापना और संचालन के लिए टर्नअराउंड समय और लागत दोनों को काफी कम कर दिया है। सरकार का इरादा स्पष्ट है-उद्यमों के लिए अनुकूल और सक्षम वातावरण बनाना, जिससे भारत की स्थिति एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत हो सके।

बीआरएपी, अपनी गतिशील प्रकृति के अनुरूप है। व्यवसायों को गुणवत्ता और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सुधारों, फोकस क्षेत्रों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाते हुए यह लगातार विकसित हुआ है। इसके द्वारा किए गए सुधारों में सिंगल विंडो प्रणालियों के माध्यम से सेवाओं की ऑनलाइन डिलिवरी, सरलीकृत पर्यावरण मंजूरी, डिजीटल पंजीकरण और नवीनीकरण, और उपयोगिता कनेक्शन के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया जैसी पहलें शामिल हैं। इसके अलावा, भूमि बैंकों और औद्योगिक पार्कों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली

(जीआईएस) के निर्माण के लिए डिजिटल एकीकरण का विस्तार किया गया है, जो भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) के साथ एकीकृत है, जो व्यापक निवेशक-संबंधी सूचना प्रदान करता है।

बीआरएपी के अलावा, सरकार ने अनुपालन बोझ कम करना (आरसीबी), व्यावसायिक कानूनों का गैर-अपराधीकरण, और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) जैसी प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इन पहलों को भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकार एक निवेश-अनुकूल ईकोसिस्टम बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है, जो घरेलू और विदेशी निवेश दोनों की दिशा में सहायता प्रदान करे। इसमें क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ पूरे देश में एकाधिक निवेश केंद्रों की स्थापना पर संपूर्ण फोकस किया गया है।

(ङ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने व्यवसायों के लिए मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) शुरू की है। वर्तमान में, पंजीकृत व्यवसाय निवेशक डैशबोर्ड के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, जो अनुमोदन की स्थिति को दर्शाता है और पारदर्शी और समयबद्ध रूप से प्रगति की मॉनीटरिंग को संभव बनाता है।

वर्तमान में, 32 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग तथा 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जी2बी अनुमोदनों को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किए जा चुके हैं, जिससे केंद्रीय विभागों के 300 से अधिक जी2बी अनुमोदनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3000 से अधिक जी2बी अनुमोदनों तक पहुंच उपलब्ध है। एनएसडब्ल्यूएस से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या सहायता हेतु व्यावसायिक उपयोगकर्ता कॉल एवं ईमेल के माध्यम से एनएसडब्ल्यूएस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए दैनिक शिकायत कॉल प्रणाली भी स्थापित की गई है।

इस पहल का उद्देश्य, विनियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को सुदृढ़ करना है, ताकि निवेशकों का विश्वास बढ़े और इस प्रकार देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में योगदान किया जा सके।

*****

अनुबंध

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीआरएपी के तहत इसकी शुरुआत के बाद से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

बीआरएपी 2015

लीडर्स	कोई नहीं
एस्पायरिंग लीडर्स	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान
एक्सिलरेशन की आवश्यकता	हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु,
जम्प स्टार्ट की आवश्यकता	उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा, केरल

बीआरएपी 2016

लीडर्स	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड
एस्पायरिंग लीडर्स	बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
एक्सिलरेशन की आवश्यकता	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु
जम्प स्टार्ट की आवश्यकता	अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा।

बीआरएपी 2017-2018

टॉप अचीवर्स	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान
अचीवर्स	पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु
फास्ट मूवर्स	हिमाचल प्रदेश, असम और बिहार
एस्पायरर्स	गोवा, पंजाब, केरल, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, दमन और

	दीव, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप

बीआरएपी-2019

क्रम सं.	**राज्यों की रैंकिंग**
1.	आंध्र प्रदेश
2.	उत्तर प्रदेश
3.	तेलंगाना
4.	मध्य प्रदेश
5.	झारखंड
6.	छत्तीसगढ़
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	राजस्थान
9.	पश्चिम बंगाल
10.	गुजरात
11.	उत्तराखंड
12.	दिल्ली
13.	महाराष्ट्र
14.	तमिलनाडु
15.	लक्षद्वीप
16.	हरियाणा
17.	कर्नाटक
18.	दमन एवं दीव
19.	पंजाब
20.	असम
21.	जम्मू और कश्मीर
22.	अंडमान और निकोबार
23.	दादरा और नगर हवेली
24.	गोवा
25.	मिजोरम
26.	बिहार
27.	पुदुच्चेरी
28.	केरल
29.	अरुणाचल प्रदेश

30.	चंडीगढ़
31.	मणिपुर
32.	मेघालय
33.	नागालैंड
34.	ओडिशा
35.	सिक्किम
36.	त्रिपुरा

बीआरएपी 2020

टॉप अचीवर्स	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना
अचीवर्स	हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
एस्पायरर्स	असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
इमर्जिंग बिजनेस ईकोसिस्टम	अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुदुच्चेरी, त्रिपुरा

बीआरएपी 2022

वाई श्रेणी	
बी2जी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
फास्ट मूवर्स	गुजरात
एस्पायरर्स	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, झारखंड, राजस्थान, असम, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर
सी2जी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	केरल, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर,

	झारखंड, पंजाब
एक्स श्रेणी	
बी2जी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, त्रिपुरा, चंडीगढ़, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश
सी2जी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	चंडीगढ़, दमन एवं दीव, मेघालय, अंडमान, त्रिपुरा, पुदुच्चेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर

- **एक्स श्रेणी में** पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) शामिल हैं, और
- **वाई श्रेणी में** स्थापित व्यवसाय और नागरिक-केंद्रित प्रणालियों वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- **टिप्पणियां:** राज्यों को कार्य योजना के अनुपालन के आधार पर "टॉप अचीवर्स" (90% से ज़्यादा), "अचीवर्स" (80-90%), "फास्ट मूवर्स" (70-80%), और "एस्पायरर्स" (70% से कम) श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो बिजनेस-अनुकूल परिवेश बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- बी2जी बिजनेस केंद्रित सुधारों को दर्शाते है।
- सी2जी नागरिक केंद्रित सुधारों को दर्शाते हैं।

बीआरएपी 2024

- **ईओडीबी श्रेणियां (आरसीबी सहित बीआरएपी)**

वाई श्रेणी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
फास्ट मूवर्स	ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, असम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक
एस्पायरर्स	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, दिल्ली

एक्स श्रेणी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	त्रिपुरा, मेघालय, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर

- एक्स श्रेणी में पूर्वोत्तर के राज्य (असम को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) शामिल हैं, और
- वाई श्रेणी में स्थापित व्यवसाय केंद्रित प्रणालियों वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- राज्यों को कार्य योजना के अनुपालन के आधार पर "टॉप अचीवर्स" (95% से ज़्यादा), "अचीवर्स" (90-95%), "फास्ट मूवर्स" (80-90%), और "एस्पायरर्स" (80% से कम) श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो बिजनेस-अनुकूल परिवेश बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **ईओडीबी श्रेणियां (आरसीबी को छोड़कर बीआरएपी)**

वाई श्रेणी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
अचीवर्स	आंध्र प्रदेश, पंजाब
फास्ट मूवर्स	राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात
एस्पायरर्स	कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, दिल्ली

एक्स श्रेणी	
श्रेणी	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
एस्पायरर्स	त्रिपुरा, मेघालय, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुच्चेरी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर

- एक्स श्रेणी में पूर्वोत्तर के राज्य (असम को छोड़कर) और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) शामिल हैं, और

- वाई श्रेणी में स्थापित व्यवसाय केंद्रित प्रणालियों वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- राज्यों को कार्य योजना के अनुपालन के आधार पर "टॉप अचीवर्स" (95% से ज़्यादा), "अचीवर्स" (90-95%), "फास्ट मूवर्स" (80-90%), और "एस्पायरर्स" (80% से कम) श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो बिजनेस-अनुकूल परिवेश बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

*****